न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–131/2002

बीबी लालमुन नेशा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

गुफरान आलम उर्फ अब्दुल हमीद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 27.01.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 03.01.2025 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत वाद उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है तथा सुलहनामा के दौरान नालिश देखने से जाहिर हुआ कि नालिश में कुछ शब्द टंकक की गलती से टंकित हो गया है तथा कुछ तथ्य टंकित होना छुट गया है तथा प्रतिवादीगण के प्रदर्श कागजात को देखने से जाहिर हुआ कि प्रदर्श–डी/1 मु0 मैमुला खातुन बहक जाफर इमाम का बक्खशीशनामा भी प्रदर्श हुआ है जिसकी चर्चा नालिश में नहीं हुआ है जिसके खिलाफ अनुतोष की आवश्यकता है एवं वादपत्र तके वादी खाना में जावेद अख्तर वादी सं0–03 का नाम जावेदन अख्तर गलती से टंकित हो गया है। जिसे सुधार कर लेना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादीगण श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगें। प्रतिवादीगण की ओर वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 16.03.2023 को दाखिल किया तथा कहा गया कि वाद उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है, सही कथन है। वादीगण के संशोधन सं0–ख में वर्णित तथ्यों को प्रतिवादीगण इंकार करते है। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि जहाँ पर पक्षकारों के बीच सुलह हो गया है वहाँ पर सुलहनामा में अंकित तथ्य को ही मान्य किया जायेगा। अत	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–131/2002</u>

बीबी लालमुन नेशा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

गुफरान आलम उर्फ अब्दुल हमीद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.01.2025	: श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए आदेश पारित करने की कृपा की जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें, जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है तथा उभय पक्षों के बीच वाद सुलह होने की बात स्वीकार किया गया है। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 27.01.2023 स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। प्रतिवादीगण को भी स्वत्रंतता होगी की वह वादपत्र में संशोधन के परिपेक्ष्य तक प्रतिवाद पत्र में अगर आवश्यक समझें तो संशोधन कर सकता है। वाद दिनांक 24.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	